

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक-04 मई, 2026

विषय:-विशेष अपील संख्या-398/2026 सौरभ कुमार सिंह व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2026 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष अपील संख्या-398/2026 सौरभ कुमार सिंह व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

7. At this stage, it was proposed by the Court that:-

(i) the exercise be conducted by the State authorities to provide at least two teachers at every institution, after physical verification of the data hosted on the UDISE portal, as on 30.04.2026.

(ii) that duly verified data alone may form the backbone of the exercise to be conducted by the District Level Committee constituted under the Government Order dated 14.11.2025 under the Chairmanship of District Magistrate. In that exercise, the data available on UDISE portal, may remain indicative, only.

(iii) the District Level Committee may require that data to be verified/certified under joint certification by the Principal/Headmaster of the individual institution and the concerned Block Education Officer. Where there may exist any vacancy on the post of Principal or Headmaster at any institution, that joint certificate may be signed by the person officiating on such post or the senior most teacher, as may be the case. If however, there is no teacher at any institution, that data may be jointly certified by the concerned Block Education Officer and the District Basic Education Officer.

(iv) the joint certification would be on the following counts:

(a) Sanctioned strength of the teachers. Wherever subject teachers have been appointed, details of the subject being taught by them may be specified - subject wise, for which they may have been appointed.

(b) Working strength of the teachers with name details of individual teachers. Wherever subject teachers have been appointed, details may be specified, subject wise for which they have been appointed.

(c) Date of joining of the individual teachers.

(d) Student strength as on 30.04.2026.

(e) Name and number of surplus teachers according to the RTE, subject wise, if any, who are proposed to be redeployed.

(v) the above certificate once received by the District Level Committee may be verified and uploaded on the website of the district concerned such as <https://prayagraj.nic.in> etc., specific to each district. Also, the same may be made available to the individual teachers through the institutions concerned, by 06th May, 2026.

- (vi) Objections if any, may be submitted by teachers proposed to be transferred only, to the District Level Committee, through offline mode, by 13th May, 2026.
- (vii) the District Level Committee may decide all such objections and determine the need to redeploy any surplus teacher to any other institutions, so as to ensure at least two teachers are made available at every institution.
- (viii) Order that may be passed by the District Level Committee, may also be uploaded on the above described website, as may be commonly become available to all concerned.

8. In carrying out the above exercise, till the next date of listing, the State may only provide for minimum number of two teachers at every institution; no non-surplus teachers, at any institution, may be affected by the exercise to be undertaken by the State under this order; wherever a lady surplus teacher is to be redeployed, all efforts may be made by the District Level Committee to redeploy such teachers, first within the same block. If that is not possible, then to the nearest block well connected by road, preferably, the school nearest to her residence.

9. At present no redeployment may be made of teachers to cater to the requirement of institutions where at least two teachers are available, as on 30.04.2026. Insofar as the implementation of the policy is proposed to be made by the State Government with respect to those surplus teachers, the District Level Committee may complete the exercise in terms of paragraph 7(i) to (v) above, by the next date, but the same may be kept separate from the exercise to be undertaken to provide for minimum number of two teachers, at present. Its fate may be made known to the Court, on the next date.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 22.04.2026 के अनुपालन में निम्नवत् कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

1- दिनांक 30.04.2026 की वास्तविक छात्र संख्या का भौतिक सत्यापन विद्यालय में कार्यरत इं0स0अ0/प्र0अ0 एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जहां प्रधानाध्यापक का पद रिक्त हो ऐसे विद्यालय में इं0स0अ0 अथवा वरिष्ठ अध्यापक द्वारा डाटा सत्यापित किया जायेगा। यदि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन है, तो ऐसे विद्यालय का डाटा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी सत्यापित किया जायेगा।

2- जनपदों द्वारा निम्न चार्ट/विवरणानुसार डाटा सत्यापित करने की कार्यवाही की जायेगी:-

प्राथमिक विद्यालय

SL	Name of School	Sanctioned Strength of Teacher	Name of Teacher at present	Date of Joining in school	Actual No. of Student on 30.04.2026	Number of teachers required according to RTE Act	Name of Surplus teachers according to RTE Act
1.		2					

उच्च प्राथमिक विद्यालय

SL	Name of School	Sanctioned Strength of Teacher (Subjectwise)	Name of Teacher at present (Subject wise)			Date of Joining in school	Actual No. of Student on 30.04.2026	Number of teachers required according to RTE Act (Subject-wise)	Name of Surplus teachers according to RTE Act (Subject-wise)
			Languages	Science/Mathematics	Social Studies				
1.		3							

3- उपरोक्तानुसार डाटा की सत्यापित प्रति शासनादेश दिनांक 14.11.2025 में निहित जनपदीय समिति को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे जनपदीय समिति द्वारा पुनः सत्यापित कराने के लिए डाटा की सत्यापित प्रति को जनपद के एन0आई0सी0 की ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए सम्बन्धित विद्यालय के इं0स0अ0/प्र0अ0 द्वारा सम्बन्धित शिक्षकों को दिनांक 06.05.2026 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

4- सम्बन्धित शिक्षक जिनका स्थानान्तरण प्रस्तावित है, द्वारा दिनांक 13.05.2026 तक ऑफलाइन माध्यम से शासनादेश दिनांक 14.11.2025 में उल्लिखित जनपदीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करायी

जा सकती है। यदि किसी कारणवश ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रदर्शन की तारीख दिनांक 06.05.2026 के बाद की है, तो उसके बाद 07 दिन तक ऑफलाइन माध्यम से जिला स्तरीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करायी जाये।

5- जनपदीय समिति द्वारा ऐसे सभी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए किसी भी सरप्लस अध्यापक को किसी दूसरे विद्यालय में फिर से डिप्लॉय (तैनात) करने की कार्यवाही की जा सकेगी, ताकि हर विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक तैनात किये जा सकें।

6- उपर्युक्त नियमों के आलोक में यदि किसी महिला अध्यापिका को पुनः तैनात किये जाने की कार्यवाही की जानी है तो जनपदीय समिति द्वारा यह ध्यान रखा जायेगा कि सर्वप्रथम उस महिला अध्यापिका को उसी विकास खण्ड में, यदि सम्भव नहीं है तो सम्बन्धित अध्यापिका को उसके निकटम् विकास खण्ड में जो कि सड़क से अच्छी तरह से जुड़ा हो, में तैनात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

7- उक्त आदेशों की प्रति जिला स्तरीय ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

8- अभी उन विद्यालयों में शिक्षकों को पुनः तैनात नहीं किया जायेगा, जहां दिनांक 30.04.2026 तक दो शिक्षक तैनात है। जहाँ तक शासनादेश दिनांक 14.11.2025 के अनुपालन में उन अतिरिक्त शिक्षकों के सम्बन्ध में जनपदीय समिति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बिन्दु संख्या-7(i) से 7(v) तक की कार्यवाही अगली तिथि तक कर सकती है तथा इसे उक्त कार्यवाही से पृथक रखा जायेगा, जिसमें 02 शिक्षक प्रत्येक विद्यालय में तैनात करने की कार्यवाही की जायेगी।

9- चूंकि मा0 न्यायालय में यह प्रकरण दिनांक 22 मई, 2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है। अतः अपने जनपद की कृत कार्यवाही की सूचना दिनांक 20.05.2026 तक ई-मेल upcfaspo@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10- कृपया मा0 न्यायालय की सुनवाई नजदीक होने के दृष्टिगत प्रकरण में व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण/समयबद्ध कार्यवाही/अनुश्रवण अपेक्षित है।

संलग्नक-उक्तवत।

भवदीय,
04.05.2026
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 4- समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला स्तरीय समिति के सदस्य होने के नाते जिलाधिकारी से समन्वय कर उक्त कार्यवाही को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
04.05.2026
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव